UPFD010054542026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (N.D.P.S. Act)/
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं०-8) जिला फिरोजाबाद
उपस्थिति-रमेश चन्द-II... ... ... .एच०जे०एस०
दाण्डिक प्रकीर्ण सं० 425/2026

राज्य...... ... ...बनाम... ... .निलादरी पति।
मु०अ०संख्या-317/2026
धारा-8/20/29/60 N.D.P.S. Act.
थाना-रसूलपुर, फिरोजाबाद।

<u>दिनांकः 07-08-2026</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उनको वाहन अवमुक्ति प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक निलादरी पति उपरोक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मुकदमा उपरोक्त में निरूद्ध वाहन गाडी नं०-OD 02 DA 0721 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त् वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी की उक्त गाडी के सभी कागजात वैध व पूर्ण हैं। प्रार्थी की उक्त गाडी में पेण्ट के 479 कार्टून डिब्बे पीडीलाइट इण्डस्ट्रीज लि० विशाखापटटनम से अम्बाला के लिए दिनांक 02-06-26 को लोड होकर चली थी। गाउी से संबंधित प्रपत्र एवं माल का बिल एवं बिल्टी आदि सम्बन्धित प्रपत्र उसके पास उपलब्ध हैं तथा संलग्न हैं लेकिन थाना रसूलपुर पुलिस ने अपने उच्चाधिकारियों को गुडवर्क दिखाने के लिए प्रार्थी की गाडी पकडकर उससे गाँजा की फर्जी बरामदगी दर्शाकर मुकदमा उपरोक्त में निरूद्ध कर दिया है। उसकी गाउी इस समय थाना रसूलपुर पर खडी हुयी है। प्रार्थी की गाडी लम्बे समय तक थाने पर खडे रहने से उसमें खराबी आने की संभावना है। प्रार्थी/स्वामी वाहन उपरोक्त् को अवमुक्ति के उपरान्त जब भी उक्त केस में माननीय न्यायालय तलब करेगा तो अपने खर्चे पर वाहन को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करायेगा तथा वचनबद्ध होता है कि वाहन को संभालकर चलवायेगा। अतः थाना रसूलपुर, फिरोजाबाद में निरूद्ध वाहन उपरोक्त को उसके हक में अवमुक्त किए जाने की याचना की गयी।

आवेदक द्वारा शपथपत्र के साथ उपरोक्त वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र की छायाप्रति, इंश्योरेन्स पॉलिसी की छायाप्रति, फिटनैस प्रमाणपत्र की छायाप्रति, परमिट की छायाप्रति, प्राधिकार पत्र की छायाप्रति तथा स्वंय के आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन अवमुक्ति प्रार्थनापत्र पर थाना स्थानीय रसूलपुर, फिरोजाबाद से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०संख्या-317/26 धारा-8/20/29/60 N.D.P.S. Act में वाहन ट्रक केन्टर नं० OD02DA/0721 इंजन संख्या-507903 व चैस नं०-05871 उक्त मुकदमें में पकडा गया माल 102 किलो नाजायज गाँजा को उसमें लदा हुआ सामान (पेन्ट) के बीच में छिपाकर इसी ट्रक से अवैध रूप से परिवहन कर रहा है तथा इसकी विवेचना ANTF शाखा आगरा से की जा रही है। ए०एन०टी० एफ० यूनिट आगरा जोन आगरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त मामले की विवेचना ए०एन०टी०एफ० यूनिट आगरा के द्वारा किए जाने के संबंध

Digitally signed by RAMESH CHAND
Date: 2026.08.07 16:23:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में रिपोर्ट प्राप्त करायी गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि उपरोक्त प्रकरण की विवेचना ए०एन०टी०एफ० यूनिट आगरा द्वारा की जा रही है। अतः वाहन को अवमुक्त किये जाने का विरोध किया जाता है।

पत्रावली पर आवेदक निलादरी पति की ओर से उपलब्ध कराये गये पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा प्रपत्र व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से आवेदक उक्त वाहन का स्वामी प्रतीत होता है परन्तु उपरोक्त ट्रक से थाना–रसूलपुर, जिला–फिरोजाबाद में पंजीकृत मु०अ०संख्या–317/2026 धारा–8/20/29/60 N.D.P.S. Act. के मामले में 102 किलोग्राम अवैध नाजायज गाँजा बरामद किया गया है जिसकी विवेचना ए०एन०टी०एफ० यूनिट, आगरा के द्वारा की जा रही है। ए०एन०टी०एफ० यूनिट आगरा की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार दौरान विवेचना बरामद ट्रक को अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदा गयी सम्पत्ति होना पाते हुए उक्त वाहन को धारा–68 (E)(F)एन०डी०डी०एस०एक्ट के तहत संपहरण हेतु भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी व प्रशासक के कार्यालय से पत्राचार किया गया है, जिनके अनुसार अभियोग के विचारण के समय धारा–63 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहर दिनांक 04–08–2026 को उक्त वाहन ट्रक को फ्रीज किए जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतः ऐसे में मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में आवेदक निलादरी पति की ओर से प्रस्तुत वाहन रिलीज प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक निलादरी पति के द्वारा मु०अ०संख्या–317/2026, धारा–8/20/29/60 N.D.P.S. Act. थाना–रसूलपुर, फिरोजाबाद के प्रकरण में प्रस्तुत प्रकीर्ण दाण्डित प्रार्थनापत्र संख्या–425/2026 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 07–08–2026

(रमेश चन्द–II)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (N.D.P.S. Act.)
कोर्ट संख्या–8, फिरोजाबाद।